सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 141 — 4 ज्येष्ठ 1926 शकाब्द

राँची, मंगलवार, 25 मई, 2004

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 मई, 2004

विषय :- झारखण्ड लोक सेवा आयोग की असैनिक सेवा संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य क्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में जनजातीय एवं स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के सम्बन्ध में ।

संख्या-2719--कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6525, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होनेवाली परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदत्त है ।

झारखण्ड राज्य के सृजन के साथ ही विभिन्न स्तरों से यह माँग उठती रही है कि राज्य की जनजातीय एवं स्थानीय भाषाओं को झारखण्ड लोक सेवा आयोग की असैनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाय क्योंकि जनजातीय एवं स्थानीय भाषाएँ जनता की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है ।

झारखण्ड की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक बनी जनजातीय भाषाओं को राज्य लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में शामिल करने के विन्दु पर जन प्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त होते रहे एवं राज्य विधान-सभा में भी कई बार एतद् संबंधी माँग माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई ।

जन प्रतिनिधियों की माँगों एवं स्थानीय भाषाओं के संबंध में सामाजिक मान्यताओं तथा उपलब्ध सांख्यिकी के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित नौ जनजातीय/स्थानीय भाषाओं को झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा असैनिक सेवा में नियुक्ति हेतु आयोजित, संयुक्त (मुख्य) परीक्षाओं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है :-

1. संथाली	2. मुण्डारी	3. हो
4. खड़िया	5. कुड़ुख (उरांव)	6. कुरमाली
7. खोरठा	8. नागपुरी	9. पंच परगनिया

Published on State Portal of Jharkhand (http://www.jharkhand.gov.in)

आदेश : आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
मुखत्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 141--300+100--शनि मुण्डा ।

Published on State Portal of Jharkhand (http://www.jharkhand.gov.in)